Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.889, Volume 12, No. 02, April-June, 2022, pp. 40-42

किशोरावस्था में विवाह महिला सशक्तिकरण में बाधक

डॉ. इन्दु पांचाल*

सार

स्त्री समाज का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन काफी लोग ऐसा नहीं मानते। ना जाने वो क्यों भूल जाते हैं कि स्त्री को सशक्त किए बिना देश का संतुलित विकास संभव नहीं हो सकता। आज के वैज्ञानिक युग में भी अनेक कुप्रथाओं यथा दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल–विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि ने समाज में महिला की वास्तविक स्थिति को काफी दयनीय बना दिया है। कुछ लोग उन्हें परिवार बनाने का स्त्रोत तक ही समझते हैं।

शब्द कुंजी : *दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल–विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा।*

प्रस्तावना

सशक्तिकरण एक शब्द मात्र नहीं अपितु अवधारणा है, जिसके मुख्य घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और नेतत्व क्षमता का विकास है। यदि महिला सशक्तिकरण केवल संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक नियमों एवं महिला केंद्रित योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन का प्रतिफल होता तो संभवतः वैश्विक पटल पर खड़ा दशकों से यह प्रश्न कब का समाप्त हो चुका होता। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की प्राप्ति की गति प्रत्येक समाज विशेष की संरचना एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है।

साहित्य का पुनरावलोकन

श्रीमती मंजू शर्मा (2008) ने अपनी पुस्तक 'कार्यशील समाज में महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप' में लिखा है कि संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिया हुआ है परंतु वास्तव में इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। वे पुरूष प्रधान समाज में गुलाम के जैसे हैं। कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थिति दयनीय है।

प्रदीप कुमार (2009) ने अपनी पुस्तक 'वूमन एम्पावरमेंट एण्ड इकोनोमिक्स' में लिखा है कि वैश्विक पटल पर देश का सर्वांगीण विकास महिला सशक्तिकरण से ही संभव है।

सुदीप कुमावत (2010) ने अपने अप्रकाशित शोध प्रबंध में लिखा है कि विकास के विषय में महिला एवं पुरूष में विभेद नहीं किया जा सकता।

समस्या का औचित्य

समस्या के औचित्य से अभिप्राय है कि इस समस्या पर विचार करने की क्या आवश्यकता है। जब तक महिलाओं के स्वास्थ्य व रोजगार की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। देश के विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है।

---

* राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

अध्ययन का उदेश्य

- किशोरावस्था में विवाह के महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

- किशोरावस्था में विवाह किए जाने से महिला सशक्तिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- किशोरावस्था में विवाह से महिला सशक्तिकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

लड़कियों को अशक्त बनाता है किशोरावस्था में विवाह

भारत में विवाह की न्यूनतम आयु खासकर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु एक विवादास्पद विषय रही है। जब भी इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन की बात उठी तो सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादियों का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। ऐसा इस बार भी हो रहा है। शायद इसी कारण लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा। जो भी हो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। विरोध में उठे तथ्यहीन तर्कों की चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि उस तस्वीर को देखा जाए जो 1954 के पहले की थी। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। इसका असर यह हुआ कि 1951 में देश में प्रति हजार शिशु मृत्यू दर 116 थी वह 2019–21 में 35 पर आ गई। यह तर्क अचंभित करता है कि 18 साल की लड़की जब वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती?

यहां प्रश्न जीवनसाथी के चुनाव के लिए मानसिक परिपक्वता का नहीं अपितु उस शारीरिक परिपक्वता का है जो एक लड़की को अपने गर्भ में संतान को पालने के लिए चाहिए। गर्भावस्था प्रसव और उसके पश्चात् मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्व के मध्य गहरा संबंध है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताओं का विश्व स्तर पर 15–19 वर्षों के मध्य की किशोर माताओं को 20–24 की आयु की महिलाओं की तुलना में गर्भाशय का संक्रमण और उच्च रक्तचाप के कारण दौरा पड़ने के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगर 67 साल पहले विवाह की न्यूनतम आयु में चार वर्ष की बढ़ोत्तरी नहीं हुई होती और उसे 14 वर्ष यथावत् रखा जाता तो आज मातृत्व और शिशु मृत्यू–दर के आंकड़े डरावने होते। सामाजिक बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि समयानुसार कानून में परिवर्तन किए जाएं परंतु उसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि कानून निर्मित होते ही मनुष्य की मानसिक जड़ताएं यकायक परिवर्तित हो जाएं। किशोरावस्था में विवाह व्यवस्थागत समस्या से अधिक समाज में व्याप्त उस सोच की परिणति है, जहां लड़कियों के जीवन का अंतिम अंततोगत्वा उदेश्य विवाह को ही माना जाता है। यह स्थिति निर्धन परिवारों से लेकर मध्यमवर्गीय परिवारों में बदस्तूर कायम है। इस सोच में परिवर्तन शनैः शनैः ही संभव है। परंतु यह कानून उन बच्चियों के लिए राहत अवश्य लेकर आएगा जिनके अभिभावक हर स्थिति में 18 साल के होते ही उनके विवाह के लिए आतुर हो जाते हैं।

देश का एक बड़ा तबका जो कथित रूप से स्वयं को बुदिजीवी और समानता का प्रवर्तक मानता है वह भी लड़के और लड़कियों की वैवाहिक आयु में अंतर समानता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 की अवहेलना है।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन तथा विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि किशोरावस्था में विवाह के चलते आई शिक्षा में रूकावट महिलाओं के अर्थ अर्जन में औसतन 9ः की कमी करती है, जिसका परिवार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर दुनिया की प्रत्येक लड़की 12 वर्षों तक बिना रूकावट गुणवतापूर्ण शिक्षा पाए तो विश्व की कमाई 15 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

दुनिया भर में हुए अनेक अध्ययन बतातें हैं कि किशोरवय विवाह लड़कियों और युवा महिलाओं को अशक्त बनाता है, उन्हें शिक्षा बुनियादी स्वास्थ्य शोषण और हिंसा से मुक्त रहने सहित कई मौलिक मानव अधिकारों से वंचित करता है। इस दिशा में विवाह की न्यूनतम आयु 18–21 में बढ़ोत्तरी युवतियों को शिक्षा और जीवन कौशल सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार प्रदीप, वूमन एम्पावरमेंट एण्ड इकानोमिक्स ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2009
2. सुदीप कुमावत, राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं महिला रोजगार अप्रकाशित शोध राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
3. शर्मा मंजू, कार्यशील महिलाओं में समाज का बदलता स्वरूप राज पब्लिशिंग हाउस, 2008।

♦❐♦